



# कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.प.प.निगम, बारां आगार

क्रमांक : एफ/सामा.मु.प्र.०/१९/

दिनांक :

## आकस्मिक अनुबंध सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बारां आगार में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आगार कार्यालय/केंद्रीय बस स्टैंड एवं बस स्टैंड परिसर में सफाई, धुलाई एवं पोछा लगाने का कार्य एवं शौचालय/मूत्रालय की साफ-सफाई के एक साथ आकस्मिक अनुबंध दिया जाना है।

1. आगार कार्यालय/केंद्रीय बस स्टैंड बारां एवं बस स्टैंड परिसर की सफाई, पौछा का कार्य तथा शौचालय एवं मूत्रालय की साफ-सफाई का कार्य।
2. कार्यशाला में वाहन-धुलाई का कार्य प्रति वाहन की दर से।
3. कार्यशाला कार्यालय/कार्यशाला परिसर की सफाई व पोछा लगाने का कार्य।

इस हेतु एक साथ आकस्मिक अनुबंध हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह आकस्मिक अनुबंध स्थानीय बाजार से आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों का ठेका दिनांक 01-08-2019 से दिया जाना है। इच्छुक ठेकेदार दिनांक 31.07.2019 समय 15:00 बजे (03:00PM) तक अपनी-अपनी पृथक-पृथक आकस्मिक अनुबंध बंद लिफाफे में भरकर आगार कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। दिनांक 31.07.2019 को समय 15:00 बजे (03:00 PM) के बाद प्राप्त होने वाली आकस्मिक अनुबंधों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा दिनांक 31.07.2019 को समय 15:00 बजे तक उपस्थित आकस्मिक अनुबंधदाताओं के समक्ष एवं आगारीय कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में 15:00 बजे तक प्राप्त हुई आकस्मिक अनुबंधों को दिनांक 31.07.2019 को समय 15:30 बजे (03:30 PM) खोल दिया जावेगा। जिसकी सबसे कम दर की आकस्मिक अनुबंध होगी, उसे ही कार्य करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आकस्मिक अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार रहेगी :-

1. परिसर की सफाई के लिए दो सफाई कर्मी रहेंगे जिनमें एक सुबह 3:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक व दूसरा 12:00 बजे से 20:00 बजे तक झाड़ू पोछा करेगा।
2. कार्यशाला की दिन में दो बार साफ सफाई होगी।
3. कार्य आगामी 3 माह तक करवाया जाना है।
4. उक्त कार्य हेतु ठेकेदार श्रमिक स्वयं देंगे तथा सफाई एवं धुलाई कार्य हेतु टोकरी में झाड़ू की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
5. आगारकार्यशाला परिसर/कार्यशाला कार्यालय परिसर का कचरा आधार सीमा में डलवाएंगे एवं इसको स्वयं फिकवाने की व्यवस्था करेंगे।
6. कार्यशाला ऑफिस का झाड़ू/पोछा प्रतिदिन सवेरे 9:00 बजे से पहले लेट्रिन बाथरूम की धुलाई, कार्यशाला/अंदर बाहर की नालियों की सफाई करेंगे।सप्ताह में एक बार कार्यशाला की नालियों में डी.डी.टी. का छिड़काव करेंगे। आवारा पशु गाय, भैंस, सूअर बस स्टैंड परिसर में नहीं आने देंगे।
7. शौचालय मूत्रालय की प्रतिदिन दो बार धुलाई मूत्रालय में प्रतिदिन फिनाइल आदिसे सफाई करेंगे।
8. शौचालय सुलभ कॉम्प्लेक्स के उपयोगकर्ता से अधिकतम शुल्क 2 रु. एवं स्नान शुल्क 5 रु. प्रति यात्री इनके द्वारा वसूल किया जायेगा एवं मंत्रालय का उपयोग निशुल्क रहेगा। इस संबंध में आवश्यक सूचना संबंधित स्थान पर प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. शौचालय एवं स्नान से होने वाली आय में से प्रतिमाह अधिकतम निगम कोष में जमा कराने वाले को कार्य का ठेका आवंटित किया जायेगा।
10. वाहनों की धुलाई एवं साफ-सफाई भली-भांति की जावेगी।
11. यात्रियों के हाथ धोने के लिए साबुन की निःशुल्क व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। साबुन के स्थान पर किसी भी स्थिति में पाउडर काम में नहीं लिया जाएगा।
12. आकस्मिक अनुबंधदाताओं के द्वारा आकस्मिक अनुबंध में दी गई राशि पर आगारीय कमेटी का निर्णय ही मान्य होगा तथा किसी भी कार्य को न्यायालय में चुनौती का अधिकार नहीं होगा।
13. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर बिना नोटिस दिए इन का ठेका बीच में ही समाप्त किया जा सकता है।
14. आकस्मिक अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य प्रबंधक का होगा।

मुख्य प्रबंधक  
बारां आगार

दिनांक : 17-09-2019

क्रमांक : एफ/सामा.मु.प्र.०/१९/ 2036

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. नोटिस बोर्ड, मिनी सचिवालय/जिला परिषद, बारां।
2. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद, बारां।
3. नोटिस बोर्ड PWD/जलदाय विभाग/जिला चिकित्सालय, बारां।
4. प्रबंधक प्रशासन/वित्त/यातायात/संचालन रा.रा.प.प. निगम, बारां/आगार।
5. नोटिस बोर्ड, रेलवे स्टेशन, बारां।
6. नोटिस बोर्ड, आगार कार्यालय/कार्यशाला/CBS रा.रा.प.प.निगम, बारां/आगार।
7. आदेश पत्रावली।

मुख्य प्रबंधक  
बारां आगार